Khursheed Alam Assistant Professor Department of Political Science
Tdc 2 ND hons paper 1

पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह नागरिकों को समान दृष्टि से ~~देखने~~ देखने का प्रयास करता है। इसके इलावा हमारा Secular State धर्मों को समान आदर देने का प्रयास करता है। (Equal Respect of all religions) और तीसरी बात यह है की हमारा Secular State (पंथनिरपेक्ष राष्ट्र) Toleration principle को अपनाता है। (सहिष्णुता का सिद्धान्त) Secular State से हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं की हमारा राज्य Secular Principles पर आधारित है।

(ii) socialism:→ हमारा संविधान Socialistic principles (समाजवादी सिद्धान्तों) के अनुसार चलेगा। इसका प्रावधान Article 14 ~~[illegible]~~ में निहित है। Article 14 के अनुसार नागरिकों के मध्य समानता होनी चाहिए। नागरिकों को ~~[illegible]~~ समान दृष्टी से देखेगा। कोई भेदभाव नहीं करेगा। ~~इसीलिए~~ यह असमानता को नष्ट करने की बात करता है। ~~इसके हेतु यह~~ ~~इसलिए~~ इसीलिए यह ~~Prefe~~ Preferential treatment या Affirmative Action देने की बात करता है। यह गरीबी को नष्ट करने की बात करता है। यह समाजवादी दर्शन से प्रभावित है।

(iii) Preamble:→ संविधान की प्रस्तावना हमें संविधान के बारे में बताने का प्रयास करता है। संविधान की प्रस्तावना हमें एक विशिष्ट राजनैतिक दर्शन से अवगत कराता है। संविधान की प्रस्तावना एक प्रेणा का स्रोत माना जाता है।

(iv) Federalism :→ हमारा संविधान संघवाद को प्रोत्साहित करता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को जानने का प्रयास करता है। संघवाद केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न गतिरोध को सुलझाने का प्रयास करता है। भारतीय संघवाद Unitarian प्रकृति का है। जहाँ पर केंद्र के ज्यादा शक्ति प्राप्त होता है।

(v) Fundamental Right :→ जहाँ तक कि संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, हमारा संविधान राज्य के अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करता है। यह संभव तब है जब हम नागरिकों को अधिकारों से अवगत कराते हैं। मौलिक अधिकार एक Negative Right है जिसका इस्तेमाल राज्य के विरुद्ध होता है। ताकि राज्य आपके अधिकारों का अपहरण ना करें।

(vi) Directive Principles of State Policy :→ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमें संविधान के Positive Right के बारे में दर्शाता है। अतः यह ऐसे अधिकार हैं जो राज्य को बाधित नहीं करता है। राज्य अपने कर्तव्यों का पालन इसी प्रावधान द्वारा करता है।

(vii) Parliamentary Democracy :→ संसदीय लोकतन्त्र हमारे संविधान की मौलिक विशेषताओं में शामिल है। हमारा राजनीतिक ढाँचा का स्वरूप संसदीय है। अर्थात संसद सर्वोच्च है।

Basic features of the Indian Constitution
(संविधान के प्रमुख विशेषताएँ) B.A.(II) Hons

भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार से हैं।
जहाँ तक की मुख्य विशेषताओं का प्रश्न है, हमारा संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से बिलकुल अलग है। ये ऐसे विशेषताएँ हैं जो संविधान के किसी भी संशोधन से बदला नहीं जा सकता है। अतः मुख्य विशेषताएँ वैसे ~~[illegible]~~ विशेषताएँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले तत्व हैं। यह मुख्य विशेषताएँ Basic feature case द्वारा निर्मित ~~भारतीय~~ होता है। Kesavanand case को Basic structure case भी कहा जाता है। इस case के अंतर्गत संविधान के Basic structure का वर्णन है। ये case 1973 में आया थी जहाँ पर Supreme court ने मत देते हुए कहा की संविधान का मुख्य विशेषताओं को किसी भी Parliamentary legislation द्वारा ~~[illegible]~~ बदला नहीं जा सकता।
ये ठीक विपरित निर्णय है Golak Nath case का जिसमें यह निर्देश ~~[illegible]~~ दिया गया की संविधान के किसी भी Part को हम बदल सकते हैं।
भारतीय संविधान के कुछ ~~[illegible]~~ निम्नलिखित मौलिक विशेषताएँ इस प्रकार से हैं:
(i) Secularism
(ii) Socialism
(iii) Preamble
(iv) Federalism
(v) ~~[illegible]~~ Fundamental Rights
(vi) Directive Principles of State policy.
(vii) Parliamentary Democracy.

(i) Secularism :→ पंथनिरपेक्षता हमारे ~~[illegible]~~ संविधान की मौलिक विशेषताओं में सबसे अधिक महत्व रखता है। क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार